भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. ईसीआई/प्रे नो/17/2015 दिनांक : 15.02.2015

प्रेस नोट

विषय : **भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01 मार्च से निर्वाचक नामावली प्रमाणीकरण मिशन का शुभारंभ।**

मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री एच. एस. ब्रह्मा ने घोषणा की है कि भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली प्रमाणीकरण और परिशोधन अभियान का 01 मार्च, 2015 से शुभारंभ करेगा।

डा. एम सी आर, एच आर डी इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में **"निर्वाचक नामावली डाटाबेस के साथ आधार को लिंक करना और निर्वाचक नामावली प्रमाणीकरण और परिशोधन अभियान"** पर कल एक कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक उचित कार्ययोजना तैयार करने की सलाह दी ताकि यह मिशन 15 अगस्त, 2015 तक पूरा किया जा सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम तथा स्पष्ट रूप से इसके लाभों और चुनौतियों को उत्पन्न करने हेतु संकल्पना के प्रमाणों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के उनके प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर बोलते हुए निर्वाचन आयुक्त, डा. नसीम ज़ैदी ने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्च तथा अन्य सुविधाओं के सृजन के लिए सी-डैक की सराहना की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि निर्वाचक नामावलियों को तकनीक की मदद से परिशोधित किया जाएगा जिसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को देशव्यापी रूप से सामूहिक प्रयासों द्वारा कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है।

महानिदेशक और यू आई डी ए आई के मिशन निदेशक, डा. विजय एस. मदान ने यू आई डी ए आई से अपेक्षित पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।

इस कार्यशाला का आयोजन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा किया गया था। निर्वाचन आयुक्त, डा. नसीम ज़ैदी और महानिदेशक तथा यूआईडीएआई के मिशन निदेशक, डा. विजय एस. मदान की उपस्थिति में इस कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री एच. एस. ब्रह्मा द्वारा किया गया। इसमें भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों, राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भाग लिया।

दक्षिणी ज़ोन के लिए सर्वोत्तम निर्वाचक पद्धति पुरस्कार चार जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिया गया।

इस कार्यशाला के दौरान सभी प्रतिभागियों ने निर्वाचक नामावलियों के परिशोधन के बारे में विभिन्न कार्रवाइयों के अनेक विषयों तथा लाभों पर विचार-विमर्श किया और आधार की फीडिंग और सीडिंग उनमें से एक रूप है।

यह कार्यशाला निज़ामाबाद जिले तथा ग्रेटर हैदराबाद नगर-निगम द्वारा एपिक डाटाबेस में आधार संख्या फीडिंग और सीडिंग करने के प्रयोग जो निर्वाचक नामावली के परिशोधन के लिए किया गया था, का विश्लेषण करने और निर्वाचक नामावली के प्रमाणीकरण और परिशोधन हेतु मिशन मोड प्रोजेक्ट में किए जाने वाले विभिन्न अन्य उपायों पर चर्चा करने पर लक्षित थी। भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2015 को **"सहज पंजीकरण तथा सहज संशोधन"** के वर्ष के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया है। इस मिशन के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग पहले ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी, 2015 को **"राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी)"** का शुभारंभ कर चुका है।

1. निर्वाचक सूची में नाम ढूंढ़ना।
2. नए पंजीकरण हेतु अंग्रेजी/हिन्दी भाषा में ऑनलाइन आवेदन करना।
3. संशोधन, यदि कोई हैं, हेतु ऑनलाइन आवेदन करना।
4. प्रयोक्ता अपने मतदान बूथ, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विवरण देख सकते हैं।
5. प्रयोक्ता, बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अन्य निर्वाचन अधिकारियों के संपर्क ब्यौरे प्राप्त कर सकते हैं।
6. प्रयोक्ता आधार संख्या डाल सकते हैं ताकि उसे निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (एपिक) आंकड़ों के साथ संलग्न किया जा सके।
7. प्रयोक्ता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की वेबसाइट का लिंक प्राप्त कर सकते हैं।
8. प्रयोक्ता निर्वाचन प्रक्रियाओं के बारे में स्वयं को शिक्षित करने के लिए श्रव्य-दृश्य लघु फिल्में देख सकते हैं।
9. मतदान प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए दृश्य-श्रव्य स्क्रिप्ट्स भी उपलब्ध हैं।
10. प्रयोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई वी एम) पर लघु शिक्षाप्रद फिल्म भी देख सकते हैं।

श्री भंवर लाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया।

धीरेन्द्र ओझा
निदेशक